



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/भर्ती/ स्थायी/ कार्यपालक प्रशिक्षार्थी/2026/1

दिनांक 28 जनवरी 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी निम्नलिखित शाखाओं में **कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों** के पदों को भरने के लिए युवा पेशेवरों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है।

क. शाखा और शैक्षिक योग्यता

तालिका 1

क्र.सं.	शाखा	शैक्षिक योग्यता
1.	यांत्रिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ मेकानिकल इंजीनियरिंग में डिग्री।
2.	विद्युत	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री।
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री।
4.	नौवास्तुविद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ नौवास्तुविद् में डिग्री।
5.	सिविल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।
6.	सुरक्षा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ सुरक्षा इंजीनियरिंग में डिग्री।
7.	वित्त	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान/ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण।
8.	मानव संसाधन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री:- (i) मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री या मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ समतुल्य डिग्री या मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ समतुल्य डिप्लोमा। या (ii) कार्मिक प्रबंधन या श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंधों में विशेषज्ञता सहित सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री। या (iii) कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ख. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत : 28 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 20 फरवरी 2026

ग. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

क्र. सं.	पदों का नाम	अना.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल
1	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक)	13	9	4	2	3	31
2	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	5	3	1	1	1	11
3	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (इलेक्ट्रॉनिक्स)	3	1	-	-	-	4
4	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (नौवास्तुविद्)	6	2	1	-	-	9
5	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (सिविल)	2	1	-	-	-	3
6	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (सुरक्षा)	2	1	-	-	-	3
7	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (वित्त)	1	1	-	-	-	2
8	कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन)	1	-	-	-	-	1
कुल		33	18	6	3	4	64

- कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति सीएसएल, कोच्ची/सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू), मुंबई/ सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता/ सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी।
- रिक्तियों की संख्या बढ़ाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।
- निम्नलिखित दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी नीचे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

तालिका 3

पदों का नाम	वर्ग	पहचानी गई बेंचमार्क दिव्यांगता
कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन)	वर्ग (क)	कम दृष्टि
	वर्ग (ख)	बेहरा और सुनने में मुश्किल
	वर्ग (ग)	एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, उपचारित कुष्ठ रोगकार्यात्मक क्षति के बिना, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित अन्य कार्यात्मक दिव्यांगता के बिना
कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (वित्त)	वर्ग (क)	कम दृष्टि
	वर्ग (ख)	बेहरा और सुनने में मुश्किल
	वर्ग (ग)	एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, उपचारित कुष्ठ रोगकार्यात्मक क्षति के बिना, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित अन्य कार्यात्मक दिव्यांगता के बिना

- (iv) सीएसएल खतरनाक ऑपरेशन में लगा हुआ है। ऊपर दिखाए गए "पहचाने गए बेंचमार्क दिव्यांगताओं" के अलावा अन्य दिव्यांगों की तैनाती से उन्हें गंभीर जोखिम होने की संभावना है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है।
- (v) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।

घ. क्षतिपूर्ति और लाभ, तैनाती का स्थान

- (i) कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में चयनित उम्मीदवार को एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए जाना होगा, जिसमें प्रशिक्षार्थी को ₹ 50,000/-रुपए के समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो, प्रशिक्षार्थी को सामान्य कार्य घंटे के परे और बंद छुट्टियों पर प्रशिक्षण के अतिरिक्त घंटे के लिए रखा जाएगा और ऐसे मामलों पर प्रति महीने अधिकतम ₹ 3000/- की सीमा में अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- (ii) एक वर्ष के प्रशिक्षण की सफल पूर्ति पर, कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों को ₹40000-3%-140000 के वेतनमान में ई-1 ग्रेड में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाएगा और वेतनमान की शुरुआती से वेतन नियत किया जाएगा। कंपनी के नियमों के अनुसार, मूल वेतन के अलावा, उम्मीदवार लागू अनुसार औद्योगिक महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मूल वेतन के 35% तक अनुलब्धियां और अन्य लाभ जैसे नई पेंशन योजना(एनपीएस), अंशदायी भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा कवरेज, छुट्टी का नकदीकरण, अंशदायी चिकित्सा बीमा नीति के अधीन चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, कार्य निष्पादन भुगतान आदि के लिए योग्य होंगे। तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:-



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

क्र.सं.	वेतन प्रकार	मासिक परिलब्धियाँ (₹)
1	मूल वेतन	40000/-
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 51.8%)	20720/-
3	एचआरए (कोच्ची में 20%)	8000/-
4	अनुलब्धियां व भत्ता (35%)	14000/-
प्रति महीने कुल		82720/-

वार्षिक सीटीसी (ई1 वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर) लगभग ₹ 14.92 लाख है।

- (iii) तैनाती सीएसएल द्वारा वांछितानुसार सीएसएल /सीएसएल के अन्य यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी। फिर भी परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

ड. आयु

- (i) पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 20 फरवरी 2026 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 21 फरवरी 1999 को या उसके बाद होना चाहिए।
- (ii) केवल संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों में अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और अ.जा/ अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन/वित्त) के पदों के लिए, बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

च. चयन की रीति:

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी :

- (i) **चरण -I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा (60 अंक)**

ऑनलाइन परीक्षा 60 मिनट की अवधि होगी, जिसमें सामान्य अवबोध (5 अंक), अंग्रेजी भाषा (5 अंक), संख्यात्मक योग्यता (5 अंक), तार्किक योग्यता (5 अंक) तथा विषय आधारित क्षेत्रों (40 अंक) के 60 बहुविकल्प प्रश्न शामिल हैं। हर प्रश्न के लिए एक अंक होता है और नेगेटिव अंक नहीं है।

- (ii) **चरण -II - ग्रुप चर्चा, लेखन कौशल और वैयक्तिक साक्षात्कार (40 अंक)**



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(iii) चयन के मेरिट सूची तैयार करने हेतु अंक के लिए निम्नलिखित मापदंड नियत किया है :

(क) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा	: 60 अंक
(ख) ग्रुप चर्चा	: 10 अंक
(ग) लेखन कौशल	: 10 अंक
(घ) वैयक्तिक साक्षात्कार	: 20 अंक

कुल : 100 अंक

(iv) चरण I ऑनलाइन परीक्षा सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुसार, **केरल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों** पर आयोजित की जाएगी और परीक्षा केंद्र **ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर आबंटित** किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पूरा करते समय आवेदकों के पास चरण I वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के लिए केरल में परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प होता है। चरण II सीएसएल, कोच्ची में आयोजित किया जाएगा।

(v) प्रत्येक पद के लिए अंक सूची चरण-I वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक दोनों परीक्षाओं के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होगा:-

अनारक्षित पदों व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %,

अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 45 % केवल अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए,

अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 % केवल अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए,

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए [कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन और वित्त) के पदों के लिए]- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

(vi) न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए, सीएसएल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा ताकि योग्यता / आरक्षण के क्रम में एक पद के सामने न्यूनतम 6 उम्मीदवारों के अनुपात में उम्मीदवार मिल सकें।

(vii) केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें चरण II (ग्रुप चर्चा, लेखन कौशल और वैयक्तिक साक्षात्कार) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) प्रमाणपत्र सत्यापन के अलावा, सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुसार 1:6 अनुपात से कम होने पर भी चरण II पात्र उम्मीदवारों के साथ आयोजित की जाएगी।

(ix) सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की रैंक सूची चरण I और चरण II में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किया जाता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के शाखा भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

निर्धारित करने का आधार होंगे। इसके बाद टाई के मामले में, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

छ. शर्तें:

(क) आरक्षण :

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- (ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-
 - जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
 - उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।
- (iii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.ज.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों के लिए लागू रियायतों या छूटों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन और वित्त) के पदों के लिए, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता :

- (i) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) खंड क में निर्धारित निम्नलिखित इंजीनियरिंग विषयों के लिए समतुल्य योग्यताएं नीचे दी गई हैं। अधिसूचित विषयों के समतुल्य किसी अन्य इंजीनियरिंग योग्यता के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

खंड क के अनुसार अधिसूचित शाखा	इंजीनियरिंग के योग्य विषयों को सीएसएल द्वारा समतुल्य माना जाता है
मेकानिकल	<ol style="list-style-type: none"> 1. औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग 2. औद्योगिक इंजीनियरिंग 3. यांत्रिक उत्पादन और टूल इंजीनियरिंग 4. मेकट्रॉनिक्स 5. उत्पादन इंजीनियरिंग 6. मेकानिकल (ऑटोमोबाइल) इंजीनियरिंग
विद्युत	<ol style="list-style-type: none"> 1. इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
नौवास्तुविद्	<ol style="list-style-type: none"> 1. नौवास्तुविद् व ऑफशोर इंजीनियरिंग 2. नौवास्तुविद् व ऑशियन इंजीनियरिंग 3. नौवास्तुविद् में दोहरी डिग्री (बी-टेक - एम-टेक के साथ) 4. नौवास्तुविद् व पोत निर्माण इंजीनियरिंग 5. नौवास्तुविद् व समुद्री इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स	<ol style="list-style-type: none"> 1. एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2. एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग 5. इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन व कंट्रोल इंजीनियरिंग 6. इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग
सुरक्षा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सुरक्षा व अग्निशमन इंजीनियरिंग 2. फायर टेकनॉलजी व सुरक्षा इंजीनियरिंग

(iii) किसी भी समतुल्य योग्यता रखने वाले आवेदक संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिसूचित शाखा में आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में भाग लें, जिसके लिए उन्होंने अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया था।

(iv) आवेदकों को पदों के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।



ग) सेवा समझौता

- (i) चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की सफल पूर्ति के बाद कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सीएसएल की सेवा करने के लिए एक सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण की अवधि और सेवा समझौता की अवधि के दौरान बाहरी रोगार के लिए आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा। बाहरी रोज़गार के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

घ) ऑनलाइन अपलोड किया जाने वाले दस्तावेज़ :

- (i) उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगता आदि के प्रमाण में सभी प्रमाणपत्र और एक हाल ही के पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरू होने से पहले अपलोड करने के लिए तैयार है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार, **सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में प्रमाणपत्रों/ अंको की प्रतियां, आयु, जाति, दिव्यांगता, अनुभव आदि के प्रमाण में प्रमाणपत्र आदि अपलोड किया जाना है, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- (ii) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में आवेदकों को अपने आवेदन सीधे सीएसएल को ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। फिर भी, ऐसे आवेदकों को एक घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है **(अनुलग्नक – I के अनुसार)** कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित किया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पदों के लिए आवेदन किया है। यदि ऐसे उम्मीदवारों का चयन होता है तो उन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव में निर्दिष्ट तिथि पर ड्यूटी पर शामिल होना चाहिए।

ङ) आवेदन शुल्क:

- (i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके **₹ 1000/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त)** का आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक **28 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026** तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। **भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- (ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।** कार्यपालक प्रशिक्षार्थी (मानव संसाधन/वित्त) के पदों के लिए, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् उपरोक्त (ii) में संबंधित लोगों को छोड़कर, उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**



च) आवेदन कैसे करें:

- i) आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर आगे बढ़ना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – **पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना**। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- ii) **विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी। इसलिए, आवेदक केवल एक पद के लिए ही आवेदन करेंगे।**
- iii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें, पंजीकरण पूरा करें और **दिनांक 28 जनवरी 2026** से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन जमा करें और यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्या वाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- viii) वेबसाइट **दिनांक 28 जनवरी 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 20 फरवरी 2026** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/ फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

छ) सामान्य:

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- (ii) सीएसएल को उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/ अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (iv) पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित और ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए स्क्राइब की सेवा की आवश्यकता वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना चाहिए और बैंचमार्क दिव्यांगजता के प्रमाण हेतु अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र लाना होगा।
- (v) सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुसार प्रमाणपत्र सत्यापन/ साक्षात्कार आदि के समय आगे के सत्यापन के लिए ऑनलाइन परीक्षा के समय उम्मीदवारों की बयोमेट्रिक / फोटो खींची जाएगी।
- (vi) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिर भी, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्ति उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार पद के लिए मान्य एकल



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

तृतीय एसी रेल किराया प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित डाक पते से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा करें और इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। यात्रा पूर्तिपूर्ति का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ प्रति जमा करनी होगी और पूर्तिपूर्ति की पात्र राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यात्रा किराए की पूर्तिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो चरण II में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और न ही किसी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह खंड इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आयोजित चयन प्रक्रिया के मामले में लागू नहीं होगा।

- (vii) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची)** को बार-बार देखें।
- (ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- (x) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन होगी।
- (xi) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर सोशल मीडिया /स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- (xii) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (xiii) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- (xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- (xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- (xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- (xix) ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए, कृपया हमें ईमेल helpdesk.csl9@gmail.com के माध्यम से संपर्क करें।
- (xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)